



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमोरिया - बनी-भारतग

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 776 दायर दिनांक 03/10.2025 निर्णय दिनांक 03/10.2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान.	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
52	हिमोरिया	328	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।		तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम हिमोरिया प.ह. हिमोरिया खाला संख्या 328 में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

पटवारी हस्ताक्षर
तह. कपासन, जिला चित्तौडगढ

हस्ताक्षर गिरदावर
03/10/25

तहसीलदार (प.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ